

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी. पीपलखूंट

उ०३/ कानून


मुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस राज

आपत ३३,५५२६५

13/19

नम्बर व
अहकाम व
की तारीख

२५.२.११ पत्र. पेश करीय वाली मक
कालीगढ़ के (का. नु.) इनके लिए
मान्यता विधिक रूप से
कानून लागू नहीं है। इनके
उपरांत भी सापेक्ष नहीं हुए
हैं। कालीगढ़ के काउन्सिल
पर पर मक दाखल का
दली खारिज किया जा
ए। पत्र. का. श. ल. मु. न. व. के
डाखिल इन्टर वेस्ट नम्बर
के मक को


उपखण्ड अधिकारी
पीपलखूंट (राज.)